दिनांक 28.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 31/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना रामचन्द्र मिशन</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 27.09.2023 की रात्रि थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीतापुर'बरेली हाइवे पर स्पार्कल गार्डन होटल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशीष को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मा0 न्यायालय से गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया था, गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आशीष निवासी मोहल्ला नई बस्ती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर मूल निवासी ग्राम सरही थाना रौजा जनपद शाहजहाँपुर।

<u>जनपद उन्नाव/थाना हसनगंज</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **07 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 28.09.2023 को थाना हसनगंज, थाना दही व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1— बीरू उर्फ धीरू 2— निखिल

3—नवीन को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 10 लाख 50 हजार रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.09.2023 को थाना हसनगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हसनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हसनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बीरू उर्फ धीरू निवासी ग्राम इटारा थाना सचेन्डी कानपुर नगर।

2—निखिल निवासी ग्राम जहानपुर थाना विधनू कानपुर नगर।

3—नवीन निवासी रसूलपुर रूरी थाना बेहटामुजावर जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1—लूट के 10 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2—07 मोबाइल फोन।

3—02 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना जगदीशपुरा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के माल बिक्री के 11 हजार 780 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.09.2023 को थाना जगदीशपुरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पथौली नगर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार

बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अनीष उर्फ मनीष घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–प्रशान्त कुमार उर्फ छोटे 3–सूरज उर्फ चिन्टू 4–हर्ष उर्फ हरसू 5–अजय को गिरफ्तार किया गया। अन्य तीन बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के माल बिक्री के 11 हजार 780 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.09.2023 को थाना जगदीशपुरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनीष उर्फ मनीष निवासी नगला बूढ़ी थाना न्यू आगरा कमिश्नरेट आगरा।

2–प्रशान्त कुमार उर्फ छोटे निवासी ओमनगर थाना न्यू आगरा कमिश्नरेट आगरा।

3–सूरज उर्फ चिन्टू निवासी भीम नगर थाना जगदीशपुरा कमिश्नरेट आगरा।

4–हर्ष उर्फ हरसू निवासी ट्रान्सपोर्ट नगर आजाद नगर थाना हरीपर्वत कमिश्नरेट आगरा।

5–अजय निवासी कुतुबपुर शेरपुर थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–लूट के माल बिक्री के 11 हजार 780 रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–02 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना सिगरा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 42 हजार 650 रूपये नगद**
- **चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 28.09.2023 को थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डुवाडीह रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त अंकित उर्फ कोमल उर्फ ओमकार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 42 हजार 650 रूपये नगद, चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.06.2023 को थाना सिगरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिगरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित उर्फ कोमल उर्फ ओमकार निवासी सेमरा कटेसर मुगलसराय जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–चोरी के 42 हजार 650 रूपये नगद।

2–चोरी का 01 मोबाइल फोन।

जनपद बदायूं/थाना वजीरगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.09.2023 को थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोटा मोड से 02 अभियुक्तों 1–रोहित 2– सूरजपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित निवासी ग्राम जखौलिया थाना वजीरगंज जनपद बदायूं।

2—सूरजपाल निवासी ग्राम जखौलिया थाना वजीरगंज जनपद बदायूं।

बरामदगी

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 100 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 लोडर बरामद**

दिनांक 27.09.2023 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 मादक पदार्थ तस्करों 1—जावेद उर्फ मोनू 2—अली हसन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 100 ग्राम अवैध स्मैक, 01 लोडर बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जावेद उर्फ मोनू निवासी डालीगंज थाना हसनगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2—अली हसन निवासी रजौली थाना गुडम्बा कमिश्नरेट लखनऊ।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 01 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 100 ग्राम अवैध स्मैक।

2—01 लोडर।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना पूरामुफ्ती (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पूरामुफ्ती पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त भैय्यन उर्फ शिव कुमार को धारा 376(2)(1) भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त गोरे लाल को धारा 363/328/376(2)(1) भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त बबलू को धारा 363/328 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता को धारा 363/328 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य व जनपद बरेली से रूपये 1,00,000/— का पुरूस्कार घोषित अपराधी डी0डी0ए0 फ्लैट्स अपोजिट सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल मालवीय नगर नई दिल्ली से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 28/09/2023 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना बिथरी चौनपुर जनपद बरेली में पंजीकृत मु0अ0सं0—86/2022 धारा 147/384/506/ 201/120बी/195ए/34 भादवि व 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 7 सी0एल0ए0 एक्ट में वांछित रू0 1,00,000/—का पुरस्कार घोषित अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य अपराधी अब्दुल समद उर्फ सद्दाम पुत्र मंसूर अहमद निवासी ग्राम हटवा उपरहार थाना पुरामुफ्ती जनपद इलाहाबाद को डी0डी0ए0 फ्लैट्स अपोजिट सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल मालवीय नगर नई दिल्ली से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

अब्दुल समद उर्फ सद्दाम पुत्र मंसूर अहमद निवासी ग्राम हटवा उपरहार थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज।

बरामदगी–

1– 01 अदद मोबाइल सैमसंग।

2– 01 अदद मोबाइल ओप्पो।

3– 01 हुंडई वरना कार नम्बर–यू0पी0 70 जी एल 0016

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

डी0डी0ए0 फ्लैट्स अपोजिट सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल मालवीय नगर नई दिल्ली। दिनांक–28/09/2023 समय–02 बजे रात्रि।

उ0प्र0 एस0टी0एफ0 को विगत काफी दिनों से फरार अतीक अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य अब्दुल समद उर्फ सद्दाम पुत्र मंसूर अहमद निवासी ग्राम हटवा उपरहार थाना पुरामुफ्ती जनपद इलाहाबाद हाल निवासी किराये का मोहम्मद यासीन का मकान खुंशबू इन्क्लेव थाना बारादरी जनपद बरेली के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था जिनके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान उपरोक्त वांछित अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम के नई दिल्ली में छिपकर रहने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर उ0नि0 श्री राशिद अली, मु0आ0 रामजी लाल,मु0आ0 संदीप कुमार,आरक्षी संजय यादव, आरक्षी कमाण्डो रामकिशन वर्मा, चालक मु0आ0 गिरिजेश पोशवाल एसटीएफ बरेली टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान से वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम को डी0डी0ए0 फ्लैट्स अपोजिट सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल मालवीय नगर नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली कर्नाटक मुम्बई में जगह बदल–बदलकर निवास कर रहा था। आज दिनांक 28/09/2023 को अपनी प्रेमिका अनम से मिलने नई दिल्ली आया हुआ था। वह जनपद बरेली में खुशबू इन्क्लेव में रह रहा था क्योंकि उसके बहनोई अशरफ बरेली जेल में बन्द थे, उनको जेल में रसद–सामग्री जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से जेल के अन्दर पहुंचाने व उनके द्वारा उनकी जमीनों आदि को खरीदने व बेचने का काम उसके द्वारा किया जाता था। उसके बहनोई अशरफ के दोस्तों द्वारा जो पैसा आदि दिया जाता था उसकी जिम्मेदारी अब्दुल समद की होती थी। बरेली में लल्ला गद्दी ,नाजिश, सय्यद साहब, फुरकान आदि के साथ मिलकर विवादित जमीनों में हस्तक्षेप कर धन अर्जित करता था।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम पर अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली द्वारा रू0 1,00,000/– का पुरूस्कार घोषित किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम को थाना बिथरी चेनपुर जनपद बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2022 धारा 147/384/506/201/120बी/195ए/34 भादवि व 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 7 सी0एल0ए0 एक्ट में गिरफ्तार कर थाना बिथरी चेनपुर जनपद बरेली पर दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना बिथरी चेनपुर जनपद बरेली द्वारा की जा रही है ।

<u>आपराधिक इतिहास अब्दुल समद–</u>

1. मु0अ0सं0–792/2015 धारा 120बी/419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0–687/2016 धारा 420/467/468/120बी भादवि थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0–521/2020 धारा 216 भादवि थाना धूमनगंज प्रयागराज।
4. मु0अ0सं0–921/2020 धारा 153ए /504/505 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज।

5. मु0अ0सं0–86/2022 धारा 147/384/506/201/120बी/195ए/34 भादवि व 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 7 सी0एल0ए0 एक्ट जनपद बरेली।
6. मु0अ0सं0–86/2022 धारा 147/384/506/201/120बी/195ए/34 भादवि व 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 7 सी0एल0ए0 एक्ट जनपद बरेली।
7. मु0अ0सं0 174/2023 धारा 420/406/467/468/471/506/457/380 भादवि थाना बारादरी जनपद बरेली।

———